सं.40-3/2020-डीएम-I(ए)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 25 नवम्बर, 2020

आदेश

जबकि, देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, दिनांक 31.10.2020 तक की अवधि के लिए, दिनांक 30.09.2020 का समसंख्यक आदेश जारी किया गया था, जिसे दिनांक 27.10.2020 के समसंख्यक आदेश के तहत 30.11.2020 तक की ओर अवधि तक बढ़ा दिया गया था;

जबकि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(झ) के अंतर्गत, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के दिशानिर्देशों के साथ एक आदेश जारी करने का निर्देश दिया है;

अत: अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(ठ) के अंतर्गत, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी यह निदेश देते हैं कि **निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी** के बारे में **संलग्न दिशानिर्देश**, 31.12.2020 तक लागू रहेंगे।

हस्ता0/-

केन्द्रीय गृह सचिव

एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी)

सेवा में:

1. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक (संलग्न सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

i. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य।
ii. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के बारे में दिशानिर्देश

[गृह मंत्रालय के दिनांक 25 नवम्बर, 2020 के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-I (ए) के अनुसार]

देश कोविड-19 से लड़ाई में संकट की स्थिति से गुजर रहा है। पिछले दो माह में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आई है जो 18 सितम्बर, 2020 को 10 लाख से अधिक थी और अब यह 4.5 लाख से कम रह गई है। तथापि, पिछले कुछ सप्ताहों में कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नए मामलों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। हाल ही में त्यौहारों के मौसम जैसे कुछ कारणों से हुई भीड़भाड़ तथा सर्दी शुरू होने तथा देश के कुछ भागों में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के दिशानिर्देशों के पालन में ढील से इस स्थिति के गंभीर होने का खतरा पैदा हो गया है और इस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं पर दवाब बढ़ गया है। कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नए मामलों की संख्या में वृद्धि होने के कारण रात्रि कर्फ्यू, लोगों के इकट्ठा होने की सीमा, बाजारों के सीमित समय आदि जैसे प्रतिबंध फिर से लगाए गए।

उक्त संदर्भ में, कोविड-19 के प्रसार को रोकने में हासिल हुई बड़ी उपलब्धियों में और प्रगति करने तथा इस वैश्विक महामारी पर पूरी तरह काबू पाने के उद्देश्य से अब यह जरूरी है कि सावधानी बरती जाए और निर्धारित कंटेनमेंट कार्यनीति, जिसमें निगरानी, कंटेनमेंट और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने पर फोकस किया गया है, का कड़ाई से पालन किया जाए।

पिछले कुछ महिनों में आर्थिक और अन्य गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से इस शर्त के साथ खोला गया है कि निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पूरी तरह से पालन किया जाए। गतिविधियों को क्रमिक रूप से फिर से खोलने और उत्तरोत्तर रूप से गतिविधियों को फिर से शुरू करने का मूल उद्देश्य आगे बढ़ना है। तथापि, उचित सावधानी बरतने के लिए कंटेनमेंट की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक को कोविड-19 के उचित तौर तरीकों का पालन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाना सफल हो और इस वैश्विक महामारी की रोकथाम में हासिल उपलब्धियां व्यर्थ न जाएं।
निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जो 1 दिसम्बर, 2020 से प्रभावी होंगे।

कोविड के बारे में उपयुक्त तौर-तरीके

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें कोविड-19 के उपयुक्त तौर-तरीकों को बढ़ावा देने के सभी आवश्यक उपाय करेंगी। फेस मास्क पहनने, हाथों को स्वच्छ रखने तथा सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
2. फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। इस मुख्य पहलू को लागू करने के उद्देश्य से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों

पर फेस मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने सहित प्रशासनिक कार्रवाइयों पर विचार कर सकती है।

3. भीड़भाड़ वाले स्थानों, विशेष रूप से बाजारों, साप्ताहिक बाजारों तथा सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बाजारों में भीड़ को विनियमित करने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करेगा जिसका राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा।

4. हवाईजहाजों, ट्रेनों तथा मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने संबंधी मानक प्रचालन प्रक्रियाएं पहले से मौजूद हैं जिनको कड़ाई से लागू किया जाएगा। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों, अर्थात् बसों, नौकाओं आदि में यात्रा को विनियमित करने के बारे में आवश्यक दिशानिर्देश जारी करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इनका कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

5. कोविड-19 की रोकथाम के बारे में **अनुलग्नक-I** में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में कड़ाई से पालन किया जाएगा।

निगरानी और कंटेनमेंट

6. खतरे वाले तथा अधिक मामले वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोनों का प्रभावी सीमांकन ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ने तथा वायरस को फैलने से रोकने के लिए बहुत जरूरी है। जिला प्राधिकारियों द्वारा माइक्रो स्तर पर कंटेनमेंट जोनों का सावधानीपूर्वक सीमांकन इस बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। कंटेनमेंट जोनों की सूची को संबंधित जिला कलेक्टर्स तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वेबसाइटों पर अधिसूचित किया जाएगा। इस सूची को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी साझा किया जाएगा।

7. सीमांकित कंटेनमेंट जोनों के भीतर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित निम्नलिखित कंटेनमेंट उपायों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा:

   i. कंटनमेंट जोनों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।

   ii. यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त घेराबंदी होगी कि चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों और आवश्यक सामानों और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के सिवाय इन जोनों में तथा इनसे बाहर लोगों का कोई आवागमन न हो।

   iii. इस प्रयोजन के लिए गठित निगरानी टीमों द्वारा हर घर की गहन निगरानी की जाएगी।

   iv. टेस्टिंग निर्धारित प्रोटोकोल के अनुसार की जाएगी।

   v. पोजिटिव पाए गए सभी लोगों के संबंध में उनके संपर्क में आए व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी तथा उनकी ट्रेकिंग और पहचान की जाएगी, उन्हें

क्वारंटाइन किया जाएगा तथा संपर्क में आए व्यक्तियों पर 14 दिन तक नजर रखी जाएगी (संपर्क में आए 80 प्रतिशत लोगों का पता 72 घंटे में लगाया जाएगा)।

vi. कोविड-19 के रोगियों का ट्रीटमेंट फेसिलिटिज/घर पर (होम आएसोलेशन के दिशानिर्देशों को पूरा करने की शर्त के साथ) शीघ्र आएसोलेश्न सुनिश्चित किया जाएगा।

vii. यथा निर्धारित चिकित्सा उपाय किए जाएंगे।

viii. आईएलआई/एसएआरआई मामलों की जांच (सर्वीलेंस) हेल्थ फेसिलिटीज या आउटरीच मोबाइल यूनिटों में अथवा बफर जोनों में फीवर क्लिनिकों के माध्यम से की जाएगी।

ix. कोविड-19 के उपयुक्त तौर-तरीकों के बारे में समुदायों में जागरूकता पैदा की जाएगी।

8. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका प्राधिकारियों की होगी कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें इस बारे में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी।

निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाना

9. कंटेनमेंट जोनों से बाहर के क्षेत्रों में, कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी गई निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है :

i. यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं, गृह मंत्रालय द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार।

ii. सिनेमा हॉल्स और थियेटर्स, 50 प्रतिशत की क्षमता तक।

iii. स्विमिंग पूल्स, केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए।

iv. प्रदर्शनी हॉल्स, केवल बिजनेस टु बिजनेस (B2B) प्रयोजनों के लिए।

v. सामाजिक/धार्मिक/खेल संबंधी/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक गैदरिंग, हॉल क्षमता की अधिकतम 50 प्रतिशत तक, बंद स्थानों पर 200 लोगों की सीमा तक; और खुले स्थानों में ग्राउन्ड/स्थान के आधार को ध्यान में रखते हुए।

तथापि, स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें बंद स्थानों में इस सीमा को कम करके 100 लोगों तक अथवा इससे कम कर सकती हैं।

10. विभिन्न गतिविधियों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी कर दी गई हैं। इनमें शामिल हैं : यात्री ट्रेनों द्वारा आवागमन; हवाई यात्रा; मेट्रो ट्रेनें; स्कूल; उच्चतर शिक्षण संस्थान; होटल और रेस्टॉरेंट; शॉपिंग माल्स, मल्टीप्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क; योगा सेंटर तथा व्यायामशालाएं; सभाएं और समामेलन आदि।
11. सुलभ संदर्भ के लिए गतिविधि-वार मानक प्रचालन प्रक्रियाओं की सूची, उनके वेब लिंकों सहित, **अनुलग्नक-।।** पर दी गई हैं।
12. मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कड़ाई से लागू किया जाएगा जो उनके सख्ती से पालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

स्थानीय प्रतिबंध

13. स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कोविड-19 को फैलने से रोकने के उद्देश्य से रात्रि कर्फ्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लगा सकते हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें कंटेनमेंट जोनों के बाहर केंद्र सरकार से पूर्व परामर्श किए बिना कोई स्थानीय लॉकडाउन (राज्य/जिला/सब-डिवीजन/शहर स्तर पर) नहीं लगाएंगी।
14. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यालयों में भी सोशल डिस्टेंसिंग लागू करनी होगी। उन शहरों में, जहां वीकली केस पोजिटिवटी रेट 10 प्रतिशत से अधिक हो, संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र एक समय पर कार्यालय आने वाले कर्मचारियों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से कार्यालय के अलग-अलग समय के कार्यान्वयन पर विचार करेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित हो सके।
15. राज्यों के भीतर और राज्यों के बीच लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसमें पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के तहत, सीमा पार व्यापार भी शामिल है। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट आवश्यक नहीं होगा।

कमज़ोर व्यक्तियों की सुरक्षा

16. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

आरोग्य सेतु का उपयोग

17. आरोग्य सेतु, संक्रमण के आशंकित खतरे का शुरू में ही पता लगाने में सहायता करता है और इस प्रकार यह व्यक्तियों और समुदायों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।

18. कार्यालयों और कार्य स्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, नियोक्ताओं को विशेष प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि कम्पेटिबल मोबाइल फोन रखने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु को इन्सटॉल कर लिया गया है।

19. 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को आरोग्य सेतु ओपन एपीआई सर्विस (https://openapi.aarogyasetu.gov.in) का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ओपन एपीआई फीचर से संगठनों तथा कर्मचारियों को कोविड-19 के खतरे से मुक्त माहौल में फिर से काम शुरू करने में सहायता मिलेगी।

20. जिला प्राधिकारी लोगों को यह सलाह दें कि वे कम्पेटिबल मोबाइल फोनों पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टाल करें और एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करें। इससे जोखिम वाले लोगों को समय पर चिकित्सा मुहैया कराने में सुविधा होगी।

दिशानिर्देशों को कड़ाई से लागू करना

21. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी किए गए इन दिशानिर्देशों में कोई ढील नहीं देंगी।

22. सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, जहां तक संभव हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के प्रावधानों का प्रयोग कर सकती हैं।

23. सभी जिला मजिस्ट्रेट इन उपायों को कड़ाई से लागू करेंगे।

दंडात्मक प्रावधान

24. इन उपायों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और यथा लागू, अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत, कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार, कार्रवाई की जाएगी। इन दंडात्मक प्रावधानों के उद्धरण **अनुलग्नक III** में दिए गए हैं।

हस्ता0/-
केन्द्रीय गृह सचिव
एवं, अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति

अनुलग्नक-I

कोविड 19 की रोकथाम के बारे में राष्ट्रीय निर्देश

1. **फेस कवर करना:** सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य-स्थलों पर और परिवहन के दौरान, फेसकवर पहनना अनिवार्य है।
2. **सोशल डिस्टेंसिंग बनाना:** व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कम-से-कम 6 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी।
   दुकानों में ग्राहकों के बीच दूरी सुनिश्चित की जाएगी।

3. **सार्वजनिक स्थानों पर थूकना**, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।

कार्यस्थल के बारे में अतिरिक्त निर्देश

4. **घर से कार्य करना (डब्ल्यूएफएच):** जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।
5. **कार्य/व्यवसाय के अलग-अलग समय का पालन** कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों तथा औद्योगिक एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।
6. **स्क्रीनिंग और स्वच्छता:** सभी प्रवेश स्थलों में थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने या सेनिटाइजर तथा निकास स्थलों और कॉमन एरिया में हाथ धोने या सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
7. **बार-बार सेनिटाइजेशन:** समस्त कार्यस्थल, जन सुविधास्थलों और दरवाजे के हैंडल आदि जैसे मानव संपर्क में आने वाली सभी चीजों का बार-बार सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा और यह हर शिफ्ट के बाद भी किया जाएगा।
8. **सोशल डिस्टेंसिंग:** कार्यस्थलों के सभी प्रभारी व्यक्ति, कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, शिफ्टों के बीच पर्याप्त अंतराल, स्टॉफ के लंच ब्रेक के अलग-अलग समय आदि द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे।

*****

अनुलग्नक II

विभिन्नल गतिविधियों के बारे में निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की सूची

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	एसओपी जारी किए जाने की तारीख	वेबलिंक
1.	भारतीय पत्तनों पर इण्डियन सीफेयरर्स का साइन-ऑन एण्डर साइन-ऑफ तथा उनका आवागमन	21.04.20	https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_21042020_0.pdf
2.	देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों तथा विदेश जाने वाले विशिष्टं व्यनक्तियों का आवागमन	22.08.20 को संशोधित	https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/MHA_SOP_dtd_22_08_2020_on_international_travel_under_Vande_Bharat_and_Bubble_flights.pdf
3.	ट्रेन से व्यक्तियों का आवागमन	19.05.20	https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20Order%20Dt.%2019.5.2020%20reg.%20revised%20SoPs%20on%20movement%20of%20stranded%20workers%20by%20trains.pdf
4.	यात्रियों की घरेलू हवाई यात्रा	25.05.20	https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Order_dated_25th_May_2020_on_recommencement_of_domestic_air_services.pdf
5.	धार्मिक स्थल/पूजा स्थल	04.06.20	https://www.mohfw.gov.in/pdf/2SoPstobefollowedinReligiousPlaces.pdf
6.	होटल, रेस्टरेंट्स तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं	04.06.20	https://www.mohfw.gov.in/pdf/3SoPstobefollowedinRestaurants.pdf
7.	शॉपिंग मॉल्स	04.06.20	https://www.mohfw.gov.in/pdf/4SoPstobefollowedinShoppingMalls.pdf
8.	कार्यालय	04.06.20	https://www.mohfw.gov.in/pdf/1SoPstobefollowedinOffices.pdf#_blank
9.	केंद्र तथा राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान	05.07.20	https://dopt.gov.in/sites/default/files/Scan101.pdf
10.	योगा संस्थांन एवं व्या.यामशालाएं	03.08.20	https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesonyogainstitutesandgymnasiums03082020.pdf
11.	मेट्रो रेल	03.09.20	http://mohua.gov.in/cms/covid19metrosop.php
12.	कौशल अथवा उद्यम प्रशिक्षण संस्थाथन, टेक्नीकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम्सद में डॉक्टॉनरल कोर्स तथा पोस्ट् ग्रेज्युमएट स्टडीज वाले प्रशिक्षण संस्थारन जिनके लिए प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्य अपेक्षित है।	08.09.20	https://www.mohfw.gov.in/pdf/FinalSOPonSkillinstitutions&PGinstitutes08092020.pdf

13.	विद्यालय	05.10.2020	https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/SOP_Guidelines_for_reopening_schools.pdf
14.	सिनेमा हॉल्स /थियेटर्स/ मल्टीप्लेक्सि	06.10.2020	https://mib.gov.in/sites/default/files/SOP%20for%20exhibition%20of%20films.pdf
15.	त्यौहार	06.10.2020	https://www.mohfw.gov.in/pdf/StandardOperatingProceduresonpreventivemeasurestocontainspreadofCOVID19duringfestivities.pdf#_blank
16.	कॉलेज/उच्चतर शिक्षण संस्थान	07.11.20	https://www.ugc.ac.in/pdfnews/1360511_UGC-Guidelines-for-Re-opening-of-Universities-and-Colleges.pdf
17.	मनोरंजन पार्क और इसी प्रकार के स्थांन	08.10.20	https://www.mohfw.gov.in/pdf/SOPonpreventivemeasurestobefollowedinEntertainmentParksandsimilarplacestocontainspreadofCOVID19.pdf
18.	आंगनवाड़ी केंद्र	11.11.20	https://wcd.nic.in/sites/default/files/AWC%20services%20continuation_0.pdf
19.	विभिन्न समामेलन	-	संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी की गई।

******

अनुलग्नक III

लॉकडाउन उपायों के उल्लंघन का अपराध करने पर दंड

क. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60

51. बाधा डालने, आदि के लिए दंड.- जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना,

क. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या

ख. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या उसकी ओर से दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इंकार करेगा;

वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और ऐसी बाधा या निर्देश का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

52. मिथ्या दावे के लिए दंड.- जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

53 धन या सामग्री आदि के दुरुपयोग के लिए दंड.- जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति, या आपदा में राहत पहुँचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गयी है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या आधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोग करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

54. मिथ्या चेतावनी के लिए दंड.- जो कोई, किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणाम के सम्बन्ध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट-सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष ऐसेअपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की स्वीकृति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

56. अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौन सहमति.- ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

57. अध्यपेक्षा के सम्बन्ध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति.- यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

58. कम्पनियों द्वारा अपराध.- (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध को किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई लिए जाने और दण्डित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध

कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की स्वीकृति या मौन सहमति से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए –

क. "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; और

ख. फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से अभिप्रेत उस फर्म के भागीदार से है।

59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी.- धारा 55 और 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए अभियोजन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

60. अपराधों का संज्ञान.- कोई भी अदालत, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय नहीं करेगा-

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, उस प्राधिकारी या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा, जैसा भी केस हो; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत या अधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम-से-कम तीस दिन की सूचना दे दी है।

ख. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188

188. लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा.— जो कोई यह जानते हुए कि वह ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किसी आदेश से, जो ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है, कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए या अपने कब्जे में, या अपने प्रबन्धाधीन, किसी संपत्ति के बारे में कोई विशेष व्यवस्था करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, ऐसे निदेश की अवज्ञा करेगा; यदि ऐसी अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की रिस्क कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दौ सौ रुपये तक का हो सकेगा, या

दोनों से, दंडित किया जाएगा; और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करे, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, या बलवा या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृत्ति रखती हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण— यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होने की संभावना है। यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्पन्न होती या होनी संभाव्य है।

दृष्टांत

ऐसे आदेश को प्रख्यापित करने के लिए अधिकार प्राप्त किसी लोक सेवक द्वारा यह निदेश देते हुए एक आदेश प्रख्यापित किया गया है कि एक धार्मिक जुलूस एक निश्चित सड़क से नहीं गुजरेगा। A जानबूझकर इस आदेश की अवज्ञा करता है, और जिससे दंगे का खतरा होता है। A ने इस खंड में परिभाषित अपराध किया है।

*****